भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2456
03.08.2026 को उत्तर के लिए

लू के कारण वन्यजीवों की मृत्यु

2456. एडवोकेट डीन कुरियाकोस :
श्री बलवंत बसवंत वानखडे :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पाँच वर्षों के दौरान लू, तापवृद्धिजनित व्यग्रता, निर्जलीकरण या जल की कमी के कारण वन्यजीवों की मृत्यु का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार, वर्ष-वार और प्रजाति-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान अत्यधिक गर्मी के कारण वन्य जीवों और पक्षियों की सामूहिक मृत्यु या जीवनसंकट की घटनाओं की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) अत्यधिक गर्मी की अवधि के दौरान वन्यजीवों के लिए जल स्रोत उपलब्ध कराने, पर्यावास प्रबंधन और आपातकालीन अनुक्रिया तंत्र के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने वन्यजीवों पर जलवायु परिवर्तन और लू के प्रभाव को कम करने के लिए कोई राष्ट्रीय रणनीति तैयार की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) वन्यजीवों तथा उनके पर्यावासों की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है। वन्यजीवों और उनके पर्यावास का प्रबंधन यथास्थिति अनुमोदित प्रबंधन योजना/बाघ संरक्षण योजना/कार्य योजना के अनुसार किया जाता है। वन्यजीवों की मृत्यु का ब्यौरा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के स्तर पर रखा जाता है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अत्यधिक तापमान के कारण सामूहिक मृत्यु या जीवन संकट की किसी भी घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

लू के कारण होने वाले नुकसान सहित वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. देश में वन्यजीवों और उनके पर्यावासों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क बनाया गया है।

ii. इस मंत्रालय ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 33 के अनुसार प्रबंधन योजनाओं की तैयारी के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को संरक्षित क्षेत्रों की प्रबंधन योजना के साथ एकीकृत करने का प्रावधान है।

iii. केंद्र प्रायोजित योजनाओं 'वन्यजीव पर्यावास विकास' तथा 'बाघ और हाथी परियोजना' के तहत वन्यजीवों के प्रबंधन और उनके पर्यावास के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत सहायता प्रदत्त कार्यकलापों में जल आपूर्ति में वृद्धि, तटबंध, तालाब, कुएं, चेक डैम, पोखर, नदियां आदि जैसी जल संचयन/संरक्षण संरचनाओं का निर्माण और रखरखाव शामिल है।

iv. लू और बाढ़ के आगामी मौसम के दृष्टिगत, इस मंत्रालय ने राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को वन्यजीवों, चिड़ियाघरों और संबद्ध क्षेत्रों के लिए तैयारियों को और बेहतर बनाने के लिए एक परामर्शिका जारी की है।

v. मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन के लिए वन्य पशुओं की निगरानी हेतु कैमरा ट्रैप, ड्रोन, वायरलेस, ई-निगरानी, पूर्व-चेतावनी प्रणाली आदि जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है।
